

पंजीयन क्रमांक 1070/10
दिनांक 11-6-2010
डिस्पेच नं०
दिनांक

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (दिखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

श्री आदिशा गोपाला

धुलिया पोस्ट डेढा तहसील जैसलमेर

जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में ।

चूंकि श्री कस्तम अली, अध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला


श्री आदिशा गोपाला, धुलिया ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है ।

आज दिनांक 11-6-10

माह जून

वर्ष दो हजार दस



पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिदेशक
गोशाला राजस्थान जयपुर
11-6-10



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....76...../जैसल/2009-2009..

यह प्रमाणित किया जाता है कि आदर्श विकास एवं सेवा

संस्थान, धुलिपा जिला जैसलमेर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक.....27.....माह.....फरवरी.....सन् दो हजार.....09.....को

जैसलमेर में दिया गया ।



20
(रमेश कुमार व्यापना)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर